भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5526

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

संसद सदस्यों के खिलाफ मामले

5526. श्री देवेश शाक्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में संसद सदस्यों के विरुद्ध कुल कितने मामले दर्ज किए गए है ;

(ख) इनके द्वारा किये गए अपराधों की प्रकृति क्या है तथा गंभीर एवं छोटे अपराधों के रूप में उनका वर्गीकरण क्या है ;

(ग) संसद सदस्यों के दोषी पाए जाने वाले मामलों की संख्या कितनी है तथा दोषसिद्धि दर कितनी है ;

(घ) कितने मामलों में संसद सदस्यों को दोषमुक्त या बरी किया गया;

(ङ) क्या सरकार ने संसद सदस्यों के विरुद्ध मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : रिट याचिका (सिविल) 699/2016 (अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 1 नवंबर, 2017 और 14 दिसंबर, 2017 के आदेशों के अनुसरण में, संघ सरकार ने निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए 11 राज्यों (2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और एक-एक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में) में 12 विशेष न्यायालयों की स्थापना की सुविधा प्रदान की। 28.02.2025 तक, 9 राज्यों में ऐसे 10 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं (बिहार और केरल के विशेष न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय के तारीख 04.12.2018 के निदेश के अनुसार बंद कर दिया गया था)। माननीय उच्चतम न्यायालय इन न्यायालयों के निष्पादन का पर्यवेक्षण करता है, जबकि भारत सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें प्रति न्यायालय प्रति वर्ष 65.00 लाख रुपए तक निधि पोषण करती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 22.03.2025 तक उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में संसद सदस्यों (सांसदों) के खिलाफ मामलों की संख्या अपेक्षित वर्गीकरण के साथ नीचे दी गई है:

वर्ष	सांसदों के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या	सांसदों के विरुद्ध लघु आपराधिक मामलों की संख्या	सांसदों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें सांसदों का उन्मोचन कर दिया गया था या दोषमुक्त कर दिया गया था	उन मामलों की संख्या जिनमें सांसद दोषी पाए गए थे
2025*	23	49	27	7	0
2024	36	50	36	16	0
2023	49	66	35	21	10
2022	136	82	39	24	7
2021	108	70	21	12	4
2020	105	65	25	4	3

*22.03.2025 की स्थिति

(ङ) और (च) : संसद सदस्यों सहित लंबित मामलों की समग्र संख्या को कम करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित समेत अनेक कदम उठाए जा रहे हैं :

- लंबित मामलों का वास्तविक सत्यापन और लंबित और निपटाए गए मामलों का सही डेटा फीड।
- 1980 तक के वर्षों के पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए, मामलों को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करना और यदि आवश्यक हो, तो विशेष न्यायपीठों का गठन करना।
- वर्ष 1981 से 1990 तक के मामलों के लिए इन्हें माननीय न्यायालयों के समक्ष उठाया जा रहा है और माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे इन मामलों को प्रतिदिन लें और उन पर निर्णय लेने के लिए सभी प्रयास करें।वर्ष 1991 से 1995, 1996 से 2000 आदि चरणों में मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं।
- माननीय न्यायालयों के समक्ष केवल ऐसे मामलों को सूचीबद्ध करना जो अंतिम सुनवाई के लिए परिपक्व हैं या जहां ऐसे आदेश पारित किए जाने हैं जो किसी न किसी तरह से पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।जहां केवल मंत्रालयी कार्य की अपेक्षा होती है और कोई प्रभावी न्यायिक आदेश पारित करने की अपेक्षा नहीं होती है जैसे कि पक्षकारों को नोटिस भेजना, निचली अदालत के रिकॉर्ड (एलसीआर) को बुलाना, पेपर-बुक तैयार करने का आदेश देना, अभियुक्त को नोटिस देना, रिपोर्ट प्राप्त करना कि आरोपी मर चुका है या जीवित है आदि, ऐसे मामलों को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जाता है।इसके बजाय, ऐसे मामलों को इन छोटे मंत्रालयी कार्यों को करने के लिए विशेष ड्यूटी पर कुछ न्यायिक अधिकारियों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।
- अपेक्षा के अनुसार एकल और खंड न्यायपीठों का गठन और न्यायपीठों को कार्य का उचित आबंटन तथा अनुशासन में उपलब्ध न्यायिक विशेषज्ञता का उपयोग।
- उच्च न्यायालय में मामलों के सूचीबद्ध होने और निपटारे में तेजी लाने के लिए, मामलों को समूहों में सूचीबद्ध किए जाने के लिए वर्गीकृत किया जा रहा है ।
- विशेष प्रकार के मामलों या व्यक्तियों के संबंध में शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए, उच्चतम न्यायालय (शीघ्र) मामले और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामले सूची के शीर्ष पर सूचीबद्ध हैं।
- ताकि पुराने लंबित मामलों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके, मामलों को एक क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, जो सबसे पुराने से आरंभ होता है ।

- हाल ही में, जिन मामलों में निचले न्यायालय की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है, उन्हें माननीय न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है।

****